

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 191

/1जी-FP/UK/ROAD/11625/2015 देहरादून: दिनांक: 15 जुलाई, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में जागर से भागादेवली लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 हेतु 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

FP/UK/ROAD/11625/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक-3468 दिनांक 20-05-2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेखा)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या 191 /1जी-FP/UK/ROAD/11625/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, नैनीताल।
- वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊ वृत्त, नैनीताल।
- अपर सचिव लोक निर्माण विभाग/पीएमजीएसवाई, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
- प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, अल्मोड़ा।

(एस0टी0एस0 लेखा)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद अल्मोड़ा में जागर से भागादेवली लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
FP/UK/ROAD/11625/2015

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुरक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु नैनीताल वन प्रभाग में 0.338 है 0 वन पंचायत भूमि, 0.04 है 0 सिविल सोयम वन भूमि अर्थात कुल 0.378 है 0 का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल तथा वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊ वृत्त, नैनीताल द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः प्रस्ताव 1.00 है 0 से कम क्षेत्रफल होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेप्चा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नाइल अधिकारी

वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 15 / 07 / 2016

स्थान : देहरादून

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्डिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक— 3468 FP/UK/ROAD/11625/2015 देहरादून: दिनांक: २० मई, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ०आर०आई०, देहरादून।

विषय:— जनपद—अल्मोड़ा में जागर से भागादेवली लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 हेक्टेक्टर वन भूमि का
गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाइन फाईल संख्या FP/UK/ROAD/11625/2015)

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र
संख्या—MISC/H/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06—11—2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी
की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम,
1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,

(एस०टी०एस० लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

3468

संख्या : FP/UK/ROAD/11625/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस०टी०एस० लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी